प्रेषक

कल्याण आयुक्त,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बेज नं0 29–30, पॉकेट–2,
सैक्टर–4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
2. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
3. कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद तथा पानीपत।
4. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
5. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य में।
6. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांक : 21970–22120
दिनांक : 26-9-2017

विषय : **हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित तीन योजनाओं (साईकल, सिलाई मशीन तथा एल0 टी0 सी0) के अन्तर्गत पात्रता हेतू वेतन सीमा 10,000 रूपये मासिक से बढ़ाकर 18,000 रूपये मासिक करने तथा अन्य संशोधन करने बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में कार्यरत अंशदाता श्रमिकों को नई साईकल खरीदने, नई सिलाई मशीन खरीदने तथा एल.टी.सी. योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतू तीन योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनमें पात्रता हेतू वेतन सीमा 10,000 रूपये मासिक निर्धारित की हुई है जिसके कारण काफी श्रमिक उक्त तीनों योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लाभ की पात्रता के दायरे से बाहर रह जाते हैं तथा श्रमिक वर्ग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर मांग की जा रही है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता हेतू निर्धारित मासिक वेतन सीमा को बढ़ाया जाए।

उक्त वर्णित स्थिति में श्रमिकों की मांग के मध्यनजर श्रमिक हित में माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 14–09–2017 से उक्त तीनों योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता हेतू निर्धारित मासिक वेतन सीमा को 10,000 रूपये से बढ़ाकर 18,000 रूपये कर दिया गया है तथा हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण

लगा...2.....

बोर्ड की तर्ज पर नई साईकल तथा नई सिलाई मशीन खरीद योजना के अन्तर्गत बिल प्रस्तुत करने की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

पृ0 कमांक : 22121-22
दिनांक : 26-9-2017

उक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित की जाती है:-

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

प्रेषक

कल्याण आयुक्त,
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड,
बेज नं0 29–30, पॉकेट–2,
सैक्टर–4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
2. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
3. कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद तथा पानीपत।
4. सभी श्रम कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।
5. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य में।
6. सभी श्रम निरीक्षक (कल्याण), हरियाणा राज्य में।

क्रमांक : 21815—967
दिनांक : 26-9-2017

विषय : **हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजना "मृतक औद्योगिक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों का वित्तीय सहायता" के अन्तर्गत एक लाख रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये करने बारे।**

......

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा **"मृतक औद्योगिक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों का वित्तीय सहायता"** के अन्तर्गत अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रमिको की संबंधित संस्था की परीधि से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर एक लाख रूपये की वित्तीय सहायता मृतक अंशदाता श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को प्रदान की जाती थी।

श्रमिकों की मांग के मध्यनजर माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा श्रमिक हित में दिनांक 14–09–2017 से उक्त योजना के अन्तर्गत अंशदाता औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मृतक श्रमिको की

लगा...2......

विधवाओं/आश्रितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि को एक लाख रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दिया गया है।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक : 21968-69
दिनांक : 26-9-2017

उक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित की जाती है:–

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. लेखा अधिकारी, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड।

उप श्रम आयुक्त (कल्याण),
कृते : कल्याण आयुक्त, हरियाणा।